मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

14 फरवरी की इन्द्री महापंचायत हरियाणा के लिए खास 3
राकेश टिकैत का एकछत्र नेता के रूप में उभार 4
घोटालों में घिरा पूर्व प्रिंसिपल रावत 5
जब पुलिस की जांच पहेली बन जाती है 6
अनंगपुर में अवैध बोरिंग, अफसर कुछ छिपा रहे हैं 8

वर्ष 34 | अंक 14 | फरीदाबाद | 14-20 फ़रवरी 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

150 करोड़ में बना हरियाणा का संघ मुख्यालय दे रहा करप्शन की गंध

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: खुद को महान और महा ईमानदार बताने वाले फर्जी राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस के कई भवन भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े हैं। हरियाणा के पट्टीकल्याणा गांव में स्वयंसेवक राष्ट्रनिर्माण प्रयोगशाला इसकी ताजा मिसाल है। इसके पीछे हरियाणा के प्रांतीय संघ चालक पवन जिन्दल का दिमाग है। मजदूर मोर्चा इससे पहले भी पवन जिन्दल, उनके भाई मदन जिन्दल और परिवार के अन्य सदस्यों के फ्रॉड के बारे में विस्तार से खोजपूर्ण रिपोर्ट छाप चुका है।

देश के तमाम राज्यों में आरएसएस और भाजपा तेजी से अपनी अचल संपत्तियां खड़ी कर रहे हैं लेकिन आजतक किसी ने सवाल नहीं किया कि करोड़ों की जमीन और उन पर करोड़ों रुपये खर्च करके हो रहे भवन निर्माण के लिए पैसा कहां से आ रहा है।

150 करोड़ की प्रयोगशाला

दिल्ली से पानीपत के रास्ते में समालखा से पहले पट्टीकल्याणा गांव में 21 सितंबर 2018 को संघ की इस प्रयोगशाला का निर्माण शुरू हुआ था। 9 जून 2018 को सरसंघचालक मोहन भागवत ने यहां भूमि पूजन किया था। 150 करोड़ रुपये की लागत से 27 एकड़ में इस 'सेवा साधना केंद्र' को विकसित करने की जिम्मेदारी पवन जिंदल को दी गई थी। इस केंद्र के संचालन व रख रखाव पर हर महीने करीब 40 लाख रुपये का खर्च है।

आरएसएस के पदाधिकारियों का दावा है कि 150 करोड़ रुपये चंदे के जरिए मिले और 40 लाख रुपये हर महीने का खर्च भी चंदे के जरिए पूरा किया जाता है।

आरएसएस में चूंकि तमाम रिटायर्ड अफसर और तमाम तरह का धंधा करने वाले व्यापारी भी स्वयंसेवक हैं तो 150 करोड़ रुपये और 40 लाख रुपये महीने के खर्च के लिए मिलने वाली राशि का पता लगा पाना आसान नहीं है। आरएसएस ने करीब 70-75 अनुषांगिक संगठन (फ्रंटल आर्गनाइजेशन) बना रखे हैं। पैसे का लेनदेन इन्हीं संगठनों के जरिए किया जाता है। यानी अगर कोई आरएसएस को पैसा दे रहा है तो उसकी रसीद आरएसएस के नाम पर नहीं मिलेगी। पट्टीकल्याणा में बनाए गए आरएसएस के सेंटर का पैसा श्री माधव जन सेवा न्यास के जरिए लिया गया है। खूंखार किस्म के स्वयंसेवक तैयार करने वाले इस सेंटर पर सारा नियंत्रण आरएसएस का ही है लेकिन कथित चंदा श्री माधव जनसेवा न्यास के जरिए लिया गया। यह संघ से जुड़ा संगठन है। आरएसएस के पदाधिकारी ही इस जनसेवा न्यास को चलाते हैं। इसे इस तरह समझें। इन दिनों राम मन्दिर के नाम पर तीसरी बार जो चंदा बटोरा जा रहा है, वह फिर से आरएसएस ही ले रहा है, लेकिन इस बार संगठन का नाम बदला हुआ है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का चंदा या आर्थिक मदद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम पर लिया जा रहा है। आरएसएस ने इससे पहले दो बार राम मंदिर के नाम पर चंदा दूसरे संगठनों के जरिए जमा किया था।

आरएसएस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पट्टीकल्याणा में बनी संघ की यह पहली प्रयोगशाला है जो रष्ट्रनिर्माण को समर्पित है। इसने आसपास के सौ गांवों को गोद लिया है। लेकिन इन गांवों में आरएसएस के प्रचारक गोसेवा का प्रचार करते घूमते हैं।

गांव में वो सीधे-सीधे गोसेवा को धर्म से जोड़कर इसे दूसरे समुदाय द्वारा इसका वध किए जाने जैसा नफरत फैलाने वाला प्रचार करते हैं। इन गांवों में वे उन युवकों को आकर्षित करते हैं जो स्कूल-कॉलेजों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। बड़ी तादाद में आसपास के युवकों को संघ की इस प्रयोगशाला में लाया गया है। आरएसएस का पट्टीकल्याणा प्रयोग अगर सफल रहा तो दो-तीन साल बाद राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक संघ ऐसे ही केंद्रों को विकसित करने का काम आगे बढ़ाएगा।

चंदे के विभिन्न माध्यम

आरएसएस ने पवन जिन्दल को इस सेंटर को विकसित करने की जिम्मेदारी

शेष पेज दो पर

एनआईटी के 36 मकानों में अवैध कब्जों को गिराने का आदेश

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

एमसीएफ कमिश्नर ने अफसरों को स्पष्ट शब्दों में ड्यूटी निभाने को कहा

फरीदाबाद: नगर निगम फरीदाबाद (कमिश्नर) यशपाल यादव ने एनआईटी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के 36 मकानों में अवैध कब्जों को गिराने का आदेश (स्पीकिंग आर्डर) दिया है। दरअसल, इस सिलसिले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इन पर कार्रवाई की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने एमसीएफ कमिश्नर को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कौन-कौन से हैं मकान

एमसीएफ कमिश्नर के आदेश में जिन मकानों में अवैध कब्जों का जिक्र किया गया है, उसके मुताबिक एनआईटी 1 नंबर में 1E 15-20BP, 1F 42 BP, 1G 56, 1F 32 BP, 1F 35-36 BP, 1F 38BP, 1B 5A लेबर चौक, I J79, 1E 47, 1E 56, 1C 63-64, 3C 117, 3C 22, 3A 123, 1D 28A, 2D K7, C1 नेहरू ग्राउंड, A13 नेहरू ग्राउंड, 1K 39, 1A 101, 1D 41, 1J 45, 12-13 SN, हनुमान मंदिर के सामने NH1, 5M 21, 5D 19-20, 5L 4, 5C 22, 5L 163 मेन रोड, 3F 4BP मकान शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक इन मकानों में अवैध कब्जे किए गए और कुछ में व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। पाठकों को याद होगा कि मजदूर मोर्चा के पिछले अंक में एनआईटी नंबर 1 में विजय रामलीला कमेटी के अवैध निर्माण पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उस मामले में भी हाई कोर्ट का आदेश है। उसकी कार्रवाई रिपोर्ट अभी हाई कोर्ट के पास जानी है।

यह पहला मामला है जिसमें हाई कोर्ट ने एमसीएफ कमिश्नर से 36 मकानों पर कार्रवाई के लिए कहा है।

कौन करेगा कार्रवाई

निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने एमसीएफ के चीफ टाउन प्लानर से कहा है कि इन 36 मकानों को सभी कानूनी बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए लीगल नोटिस भेजे जाएं। इनमें कौन कौन से अवैध निर्माण को रेगुलर किया जा चुका है, किसने नहीं कराया है, इसकी जानकारी 30 दिनों में एनआईटी के ज्वाइंट कमिश्नर को दी जाए। ज्वाइंट कमिश्नर 60 दिनों में इन अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई अंजाम दें। एस्टेबलिशमेंट ब्रांच के इंचार्ज ज्वाइंट कमिश्नर को उन जेई की सूची सौंपें, जिनकी ड्यूटी तोड़फोड़ अभियान में लगाई जाएगी। निगम कमिश्नर ने अपने स्पीकिंग आर्डर में कहा है कि इस आदेश पर लापरवाही बरतने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एमसीएफ का एसई, एसडीओ सस्पेंड

सीएम ने 30 बेड के अस्पताल की घोषणा की थी, एस्टीमेट भेजा गया 80 बेड का

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के एसई और एसडीओ को हरियाणा सरकार ने निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इन्हें पंचकूला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। इसने मामले में एक जेई पर भी गाज गिरने की संभावना है।

इन दोनों अफसरों का निलंबन बताता है कि एमसीएफ में फैला घोर भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर फैल गया है कि सरकार चाहती कुछ है, होता कुछ और है।

सीएम की घोषणा का पलीता

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल ओल्ड फरीदाबाद में 30 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। इस संबंध में एमसीएफ कमिश्नर को निर्देश दिया गया वो इस संबंध में पूरे प्रोजेक्ट का एस्टीमेट बनाकर चंडीगढ़ मुख्यालय भेजें, ताकि वहां से पैसा जारी हो सके।

एमसीएफ फरीदाबाद ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव एस. एन. राय के पास 30 बेड की जगह 80 बेड का अस्पताल बनाने का एस्टीमेट भेज दिया। इस संबंध में शहरी विकास विभाग ने जब मुख्यमंत्री कार्यालय से इस संबंध में जानकारी मांगी तो वहां से बताया गया कि ओल्ड फरीदाबाद में सीएम ने 30 बेड के अस्पताल की घोषणा की थी। अतिरिक्त प्रधान सचिव एस.एन. राय ने एमसीएफ अफसरों की इसे लापरवाही मानते हुए और सरकारी पैसे के संभावित दुरपयोग को रोकने के लिए एमसीएफ योजना विभाग के एसई ओमवीर और एसडीओ राजकुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि इन दोनों अधिकारियों को अभी आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन चंडीगढ़ मुख्यालय से जल्द ही आरोप पत्र जारी किया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि इस मामले में एक जेई पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि एस्टीमेट बनाने में न सिर्फ एसई, एसडीओ बल्कि जेई भी शामिल था।

अभी जिस एसई ओमवीर को निलंबित किया गया है, वह इससे पहले एक्सईएन था। हाल में उसका प्रमोशन किया गया था। फरीदाबाद आने से पहले ओमवीर अंबाला में था लेकिन ओल्ड फरीदाबाद में तैनाती के दौरान एस्टीमेट उसी ने तैयार कराया था।

कमिश्नर पर कार्रवाई क्यों नहीं

सारे मामले में अफसर लॉबी ने इस मामले में जिम्मेदार कमिश्नर और बाकी अधिकारियों को छोड़ दिया, जबकि इस मामले में अगर एसई और एसडीओ जिम्मेदार हैं तो एमसीएफ कमिश्नर भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। सीएम घोषणा का जो भी एस्टीमेट बनता है, वो एमसीएफ कमिश्नर के हस्ताक्षर से चंडीगढ़ भेजा जाता है। ऐसा कैसे संभव है कि 30 बेड के अस्पताल का एस्टीमेट 80 बेड में बदल जाए और एमसीएफ कमिश्नर को उसका पता भी नहीं चले।

एमसीएफ अफसरों की हरकत से लगता है कि सीएम की घोषणाओं को वो कोई महत्व नहीं देते और अपने तरीके से फाइल इधर-उधर घुमाकर चंडीगढ़ भेज देते हैं।

जिस समय की यह घटना है, उस समय यश गर्ग कमिश्नर थे। अब उन्हें गुड़गांव का डीसी बनाकर भेज दिया गया है। लेकिन अफसर लॉबी ने यश गर्ग को साफ-साफ बचा लिया।